

न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 43/2022

मुकदमा संख्या संख्या 408/2022, अपराध अन्तर्गत धारा 5,8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व 11 डी पशु कूरता अधिनियम

सूरजमल माली पुत्र श्री हीरा उम्र 62 वर्ष जाति माली निवासी भटियाणी रोड, राम चौक मौहल्ला, झडवास पुलिस थाना नसीराबाद सदर तहसील नसीराबाद (अजमेर) जरिये पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर हेमराज माली पुत्र श्री सूरजमल माली उम्र 21 वर्ष जाति माली निवासी भटियाणी रोड, झडवास तहसील नसीराबाद (अजमेर)

.....प्रार्थी

बनाम

थानाधिकारी पुलिस थाना विजयनगर, अजमेर
उपस्थित :-

.....अप्रार्थी

श्री दिवाकर

अभिभाषक प्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते वास्ते वाहन रिलीज करने बाबत

(प्रकरण संख्या 408/2022 सरकार बनाम हेमराज माली)

आदेश

दिनांक- 21.12.2022

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार का वाहन महेन्द्रा बोलरो पिकअप सी.बी.सी रजि. संख्या आर.जे. 01 जी.सी 4005 मॉडल 2020 पुलिस थाना विजयनगर जिला अजमेर के प्रकरण संख्या 408/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 5,8, राजस्थान गौवंशीय प्रतिषेध अधिनियम 1995 व 11 डी पशु कूरता अधिनियम 1995 में जब्त किया गया। प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जप्त वाहन को सुपुर्दगी/जमानत पर छोड़े जाने के आदेश हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी पुलिस विजयनगर, जिला अजमेर से प्रकरण बाबत टिप्पणी तलब की गई। सुनवाई चाहने उपस्थित को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार का वाहन महेन्द्रा बोलरो पिकअप सी.बी.सी रजि. संख्या आर.जे. 01 जी.सी 4005 पुलिस थाना विजयनगर जिला अजमेर के प्रकरण संख्या 408/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 5,8, राजस्थान गौवंशीय प्रतिषेध अधिनियम 1995 व 11 डी पशु कूरता अधिनियम 1995 में जब्त किया गया। जब्त शुदा वाहन पुलिस थाना विजयनगर में खुले में पड़े होने से खराब होने की सम्भावना है। प्रार्थी न्यायालय के निर्देशानुसार अधिरोपित शर्तों की पालना करने को तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाहन महेन्द्रा बोलरो पिकअप सी.बी.सी रजि. संख्या आर.जे. 01 जी.सी 4005 को सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने अप्रार्थी थानाधिकारी पुलिस थाना विजयनगर जिला अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का प्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई दौरान व्यक्त कथनों पर मनन किया, रेकार्ड

Anil
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस थाना विजयनगर जिला अजमेर को प्राप्त सूचना पर दौराने जांच महेन्द्रा बोलरों पिकअप सी.बी.सी रजि. संख्या आर.जे. 01 जी. सी 4005 में अवैध गौवंश 2 गाय, कूरता पूर्वक टूस-टूस कर भरे हुए पाया गया है। पुलिस थाना विजयनगर द्वारा गौवंश को बाडी माता गौशाला में अस्थाई रूप से सुपुर्द किया जाकर महेन्द्रा बोलेरो को जब्त कर थाना परिसर में खडा किया गया है। प्रकरण में वाहन से सम्बन्धित अनुसन्धान पूर्ण किया जा चुका एवं वाहन को नियमानुसार रिलिज कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया गया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार जिस स्थिति में उक्त गौवंश को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है उससे इन्हे अवैध रूप से (कटने के लिये) ले जाना स्पष्ट है। जब्तशुदा गौवंश को, देखरेख/चारे पानी की सुचारु व्यवस्था हेतु गौशाला में सुपुर्दगी पर छोडा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमान के विरुद्ध धारा धारा 5, 8, गौवंश अधिनियम 1995 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 तथा धारा 11 डी पशु कुरता अधिनियम 1960 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अधिनियम संख्या 23 में धारा 6-क का अन्तःस्थापन किया गया है जिसमें इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जावें तथा ऐसे अपराध करने के लिए उपयोग में लाये गये प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा, प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी को कब्जे राज लिये गये गौ वंश तथा ऐसे अपराध के लिए उपयोग में लिये जाने वाले वाहन के निस्तारण का अधिकार दिया गया है। प्रार्थी द्वारा इस वाहन को सुपुर्दगी नामें पर दिए जाने का निवेदन किया गया है। वाहन के अधिहरण के आदेश करने के पूर्व गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 में दिये गये प्रावधानों के मद्देनजर जब्त शुदा वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। चूंकि उक्त वाहन महेन्द्रा बोलरों पिकअप सी.बी.सी रजि. संख्या आर.जे. 01 जी.सी 4005 का उपयोग, उपरोक्तानुसार गैर-कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। लिहाजा प्रकरण में जब्त वाहन महेन्द्रा बोलरों पिकअप सी.बी.सी रजि. संख्या आर.जे. 01 जी.सी 4005 को रूपये 25,000/-अक्षरे पच्चीस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति प्रार्थी द्वारा जमा करवाने पर थानाधिकारी पुलिस थाना विजयनगर जिला-अजमेर, राशि नियमानुसार राजकोष (सम्बन्धित मद) में जमा करवाकर वाहन महेन्द्रा बोलरों पिकअप सी.बी.सी रजि. संख्या आर.जे. 01 जी.सी 4005 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। जमा चालान/रसीद, के पालना रिपोर्ट पेश हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


(अंश दीप)

जिला कलक्टर,
अजमेर।